

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(50)वित्त-1(1)आय.व्य./2016

जयपुर, दिनांक : 23.3.2018

स्वीकृति संख्या-85/2017-18

कोषाधिकारी,
बारां।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां)
के पी.डी.खाते में राशि रुपये 259.50 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7 () सहरिया / सीसीडी प्लान / सीटीएडी / 2017-18 स्वीकृति सं. 76 / 2017-18 दिनांक 22.03.2018 राशि रुपये 10.00 लाख, स्वीकृति सं. 77 / 2017-18 दिनांक 22.03.2018 राशि रुपये 16.50 लाख, स्वीकृति सं. 78 / 2017-18 दिनांक 22.03.2018 राशि रुपये 60.00 लाख, स्वीकृति सं. 79 / 2017-18 दिनांक 22.03.2018 राशि रुपये 147.19 लाख, स्वीकृति सं. 80 / 2017-18 दिनांक 22.03.2018 राशि रुपये 3.51 लाख एवं स्वीकृति सं. 81 / 2017-18 दिनांक 22.03.2018 राशि रुपये 22.30 लाख में अंकित शर्तों के अनुसार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के पी.डी.खाते में कुल राशि रुपये 259.50 लाख (अक्षरों रुपये दो करोड़ उनसठ लाख पचास हजार) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण।	
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।	
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना।	
(19)	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत संचालित योजनाएँ।	
[02]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत नवाचार योजनाएँ।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	राशि रु. 10.00 लाख
[04]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत जनश्री बीमा योजना।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	राशि रु. 16.50 लाख
[05]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी को मानदेय।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	राशि रु. 60.00 लाख
[06]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत सहरिया के मौ-बाडी केन्द्रों का संचालन।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	राशि रु. 147.19 लाख
[09]	मोनेटरिंग तथा प्रशासनिक व्यय।	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	राशि रु. 3.51 लाख
[11]	सहरिया विकास की सीसीडी योजनान्तर्गत जनजाति विद्यार्थियों के लिये कौचिंग	
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	राशि रु. 22.30 लाख
	योग	राशि रु. 259.50 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

